

राजस्थान सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग,
आई.टी. बिल्डिंग, योजना भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर।

क्रमांक :- एफ.2(7099)/डी.ओ.आई.टी./संस्था/16/00810/2020

जयपुर, दिनांक 04.02.2020

अनापत्ति प्रमाण-पत्र

राजस्थान कम्प्युटर अधिनस्थ सेवा के विभिन्न विभागों में कार्यरत/पदस्थापित सूचना सहायकों को निम्नलिखित प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होने की स्थिति में इस विभाग को कोई आपत्ति नहीं है :-

क्र.स.	मेरिट न.	नाम	पदस्थापित विभाग	परीक्षा का नाम
1.	567	श्री नरेन्द्र सिंह शेखावत	वित्त (मार्गोपाय) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	1. UPSC – Dy Central Intelligence Officer Exam 2020
2.	816	श्री निरंजन जोगिड	कार्यालय ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, महवा, दौसा	1. DSSSB – Computer Teacher (TGT) Exam 2020
3.	2098	सुश्री/श्रीमती प्रेरणा सिंगोदिया	राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जयपुर	1. CBSE Analyst (IT) Exam 2020
4.	2106	श्री प्रदीप	सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, पंचायत समिति-बालोतरा, जिला-बाड़मेर	1. RSCB – Computer Programmer 2020
5.	2154	श्री नलिन वर्मा	सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, पंचायत समिति-लाडनूं, जिला-नागौर	1. IIT Delhi – GATE 2020
6.	2847	सुश्री नीलम पालीवाल	कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजसमन्द खण्ड द्वितीय	1. SSC – CGL Exam - 2019
7.	2018 Batch	श्री पवन कुमार शर्मा	कार्यालय उप पंजीयक अलवर द्वितीय पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, अलवर	1. RPSC, Ajmer – School Lecturer Exam 2018
8.	2018 Batch	श्री पुष्पेन्द्र बंशी	जिला कार्यालय सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, भीलवाड़ा	1. RSMSSB, Jaipur – Junior Assistant Exam 2018
9.	2018 Batch	सुश्री/श्रीमती नेहा कोटेड	जिला रोजगार कार्यालय, डूंगरपुर	1. RBI Assistant Exam 2020 2. SBI Assistant Exam 2020

उक्त प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति उक्त सूचना सहायकों को निर्देशानुसार निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है :-

1. शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय यदि कार्यालय समय के समान ही हो तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त मानी जाएगी।
2. राजसेवक का पदस्थापन अध्ययन स्वीकृति संस्थान के मुख्यालय से परिवर्तन/स्थानान्तरित हो जाता है तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त हो जायेगी।
3. प्रत्येक वर्ष के लिये अलग अलग अनुमति लेनी आवश्यक होगी।
4. विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बगैर अध्ययन चालू रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
5. जिन कर्मचारियों को इस वर्ष उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु अथवा अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जायेगी उन्हें परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

P.T.O.

राजस्थान सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग,
आई.टी. बिल्डिंग, योजना भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर।

6. अध्ययन स्वीकृति दिये जाने से अधिकारी/कर्मचारी को किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकारी नहीं मिल पायेगा और उसका स्थानान्तरण किया जा सकता है।
7. अध्ययन से राजसेवक दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेगा, अन्यथा स्वीकृति समाप्त कर दी जाएगी।
8. अध्ययन वर्ष में अधिकारी/कर्मचारी की उपस्थिति का प्रतिशत कम होने के लिये सरकार/विभाग किसी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगा।
9. परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
10. प्रशासनिक कारणोंवश अध्ययन स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।
11. उक्त शर्तों की अवहेलना करने या पाई जाने पर कार्मिक/कार्मिका के विरुद्ध कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प.9(5)(9)/कार्मिक/क-3/2001 दिनांक 16 मई 2002 के अनुसार वृहत शास्ति हेतु अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

—Sd—

(विवेक कुमार)
विशेषाधिकारी (यू.आई.डी.) एवं
प्रभारी अधिकारी संस्थापन (अराजपत्रित)
जयपुर, दिनांक

क्रमांक : एफ.2(7099)/डी.ओ.आई.टी./संस्था/16/

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. संबंधित विभागाध्यक्ष.....।
2. संबंधित कर्मचारी.....।
3. निजी/रक्षित पत्रावली।
4. प्रभारी अधिकारी, वेबसाइट, वेबसाइट पर अपलोड हेतु।

G. K. M.
4/2/2020

प्रशासनिक अधिकारी (संस्थापन)